

: - आदेश - :

बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी के पत्रांक-119, दिनांक-22.02.2014 के आलोक में वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार कोशी पुनर्वास मद से निम्न विवरण के अनुसार प्रखंडों द्वारा इन्दिरा आवास योजना में राशि विचलित की गयी थी, जिसके समायोजन हेतु अभिकरण कार्यालय में उपलब्ध निधि से प्रखंडों को निम्न प्रकार राशि उपावंटित की जाती है :-


क्र०	प्रखंड का नाम	Bappes से IAY में विचलित राशि	समायोजन हेतु Bappes में अभिकरण कार्यालय से उपावंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	कुमारखंड	14489693.00/-	14489693.00/-	
2	पुरैनी	27394460.00/-	27394460.00/-	
3	शंकरपुर	15783009.00/-	15783009.00/-	
4	सिंहेश्वर	703810.00/-	703810.00/-	

यदि जाँच में कोई वित्तीय त्रुटियाँ पाई गयी है तो राशि का वापसी ली जा सकती है। इन्दिरा आवास योजना में प्राप्त होने वाली निधि से उक्त आवंटित राशि का समायोजन करने के उपरान्त ही शेष राशि का प्रखंडवार उपावंटन किया जायेगा।

प्रभारी सहायक, इन्दिरा आवास एवं लेखा पदाधिकारी, डी.आर.डी.ए., मधेपुरा उक्त राशि के समायोजन का विशेष रखेंगे।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु किया जाता है।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

  
उप विकास आयुक्त,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक-...../मधेपुरा, दिनांक-...../...../.....2014 ई०।

प्रतिलिपि-संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उप विकास आयुक्त,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक-...../मधेपुरा, दिनांक-...../...../.....2014 ई०।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
उप विकास आयुक्त,  
मधेपुरा।